वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की वित्त समिति की 20वीं बैठक दिनांक 27.03.2023 का कार्यवृत्त

वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की वित्त समिति की 20वीं बैठक दिनांक 27.03.2023 को समय प्रातः 11.00 बजे से विश्वविद्यालय सभागार कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नवत् रही :–

01	प्रो0 ओंकार सिंह , कुलपति, वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून	अध्यक्ष
02	श्री आर0 के0 श्रीवास्तव, अपर सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
03	श्री प्रशान्त आर्य, अपर सचिव, उच्च शिक्षा,उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
04	श्री अरविन्द सिंह पांगती, सयुंक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
05	श्रीमती दीप्ती मिश्रा, उपसचिव वित्त विभाग,उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
06	श्री श्रीप्रकाश तिवारी, उप–सचिव, तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
07	श्री पंकज गुप्ता, अध्यक्ष, इंडस्ट्री ऐसोसियेशन ऑफ उत्तराखण्ड	सदस्य
08	प्रोफ0 सत्येन्द्र सिंह, कुलसचिव, वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून।	आमंत्रित सदस्य
09	श्री बिक्रम सिंह जंतवाल, वित्त नियंत्रक, वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,देहरादून	सदस्य/सचिव

सर्वप्रथम मा0 कुलपति महोदय द्वारा वित्त समिति में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया गया तत्पश्चात बैठक आरम्भ हुई तथा एजेण्डावार निम्नलिखित निर्णय लिये गये।

एजेण्डा बिन्दु	एजेण्डा बिन्दु	वित्त समिति में प्रस्तुत प्रस्ताव का औचित्य	वित्त समिति का निर्णय (विनिश्चिय)
बिन्दु संख्या 01	वित्त समिति की 19वीं बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन	वित्त समिति के कार्यवृत्त/निर्णय/अनुपालन आख्या अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	वित्त समिति द्वारा 19वीं वित्त समिति के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी तथा कृत कार्यवाही पर संतोष प्रकट किया गया एवं 19वी वित्त समिति में लिये गये निर्णयों में से शेष कार्य शीघ्र पूर्ण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
बिन्दु संख्या 02	वित्त समिति की 19वीं बैठक में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की सूचना।		
बिन्दु संख्या 03	वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून का वित्तीय वर्ष **2022–23 के माह फरवरी, 2023 तक का** वास्तविक आय–व्ययक वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत :– **वास्तविक आय : रू0 24.71 करोड़** **वास्तविक व्यय : रू0 12.31 करोड़** **+ बचत : रू0 12.40करोड़**	वित्तीय वर्ष 2022–22 हेतु अनुमानित आय **रू0 23.40 करोड** के सापेक्ष **रू0 24.69 करोड़** की वास्तविक आय तथा **रू0 23.13 करोड** के अनुमानित व्यय के सापेक्ष **रू0 12.39 करोड़** का वास्तविक व्यय हुआ है। अतः **वितीय वर्ष 2022–23 का माह फरवरी,2023 तक** का वास्तविक आय एवं व्यय वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।	वित्त समिति द्वारा चर्चा उपरांत वित्तीय वर्ष 2022–23 के माह फरवरी, 2023 के वास्तविक आय–व्ययक पर अनुमोदन प्रदान किया गया :– **वास्तविक आय : रू0 24.71 करोड़** **वास्तविक व्यय : रू0 12.31 करोड़** **वित्त समिति के सदस्यों द्वारा विश्वविद्यालय में कॉर्पसफंड बनाये जाने की अपेक्षा की गई।**

		वास्तविक आय : **रू0 24.71 करोड़** **वास्तविक व्यय :** **रू0 12.40 करोड़** साथ ही वित्तीय वर्ष 2022–23 टनकपुर संस्थान के भवन निर्माण हेतु रू0 330.00 करोड़ एवं पुरूस्कार हेतु रू0 33.33 लाख की धनराशि शासकीय अंश के रूप मे प्राप्त हुयी थी । इसमें पूर्व वर्षो की शेष धनराशि रू0 90.00 लाख सहित रू0 122.00 लाख एवं रू0 330.00 लाख का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में किया जा चुका है। अतः वित्तीय वर्ष 2022–23 का शासकीय अंश सहित वास्तविक आय–व्ययक वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	
बिन्दु संख्या 04	वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून का आगामी वित्तीय वर्ष **2023–24** हेतु अनुमानित आय–व्ययक अनुमोदनार्थ :– **अनुमानित आय : रू0 25.57 करोड़** **अनुमानित व्यय : रू0 21.36 करोड़** **+ बचत : रू0 04.01 करोड़**	वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु अनुमानित / विस्तृत आय–व्ययक **अनु0 आय :** **रू0 25.57 करोड़** **अनु0 व्यय :** **रू0 21.36 करोड़** **+बचतःरू0 04.01 करोड़** **आय मद** :– मुख्यतः परीक्षा शुल्क / सम्बद्धता शुल्क एवं विश्वविद्यालय के पास उपलब्ध धनराशि पर अर्जित ब्याज से आय अनुमानित की जा रही है। शेष मदों की आय विगत वर्षो की वास्तविक आय पर आधारित है।	**वित्त समिति द्वारा आगामी वित्त वर्ष 2023–24 हेतु अनुमानित आय–व्यय पर विस्तृत चर्चा उपरांत अनुमोदन प्रदान किया गया।** **अनु0 आय : रू0 26.88 करोड़** **अनु0 व्यय : रू0 21.36 करोड़** **+ बचत : रू0 05.52 करोड़** **साथ ही वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय को यह भी निर्देशित किया गया कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आय के सापेक्ष व्यय के उपरांत विश्वविद्यालय के पास रू0 5.00 करोड़ की अतिरिक्त निधि बचत के रूप में उपलब्ध रहें ताकि अपरिहार्य स्थिति में इसका प्रयोग विश्वविद्यालय की आवश्यकतानुसार किया जा सकें।**

		व्यय मद :– मुख्य रूप से वेतन मद/कार्यालय व्यय एवं विकास मदों में व्यय प्रस्तावित है। शेष मदों मे विगत वर्षो के वास्तविक व्यय के आधार पर व्यय अनुमानित किया गया है।	
बिन्दु संख्या 05	विशेष आयोजनागत सहायता अन्तर्गत (एस0पी0ए0) विश्वविद्यालय के **05 संघटक तकनीकी संस्थानों (पिथौरागढ़/गोपेश्वर/बौन उत्तरकाशी/सद्धौवाला एवं टनकपुर)** के निर्माणाधीन अनावासीय भवन निर्माण हेतु समय अवधि को दिनांक 31.03.2024 तक विस्तार हेतु प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	संघटक तकनीकी संस्थान गोपेश्वर एवं सुद्धौवाला के निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुके है। तकनीकी संस्थान गोपेश्वर का आगणंन पुनरीक्षित किया जाना प्रस्तावित है जिस हेतु कार्यवाही गतिमान है। इसके अलावा शेष 03 संस्थानों (पिथौरागढ़/उत्तरकाशी /टनकपुर) में से पिथौरागढ़ हेतु आवंटित भूमि एन0डी0आर0एफ0 को आंवटित किये जाने एवं अन्य स्थान पर पिथौरगढ़ संस्थान स्थापित किये जाने व बौन उत्तरकाशी को विश्वविद्यालय कैम्पस संस्थान के रूप में संचालित किये जाने हेतु शासन स्तर की स्वीकृति/निर्णय प्रतिक्षित रहने व निर्माण कार्य शासकीय अंश के अभाव में बाधित रहे है। अतः उक्त संस्थानों हेतु पूर्व स्वीकृत लागत के सापेक्ष शेष निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने हेतु निर्माण कार्यो की समय सीमा को लागत वृद्धि न किये जाने की शर्त पर दिनांक 31.03.2024 तक	**वित्त नियंत्रक द्वारा 05 संघटक सस्थानों के अनावासीय भवन निर्माण हेतु योजनावार वित्त समिति के सदस्यों को वर्तमान स्थिति एवं निर्माण कार्य पूर्ण न होने पर सदन को अवगत कराया गया । इसके उपरांत वित्त समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि गोपेश्वर/सुद्धौवाला) हेतु पूर्ण शासकीय/यू0टी0यू0 अंश अवमुक्त किया जा चुका है, अतः ऐसे संस्थानों को आगामी छः माह (दिनांक 30.09. 2023 तक) का समय विस्तार प्रदान किया गया तथा इनके विधिवत हस्तांतरण हेतु कार्यदायी संस्था से इन्वेन्ट्री प्राप्त किये जाने व योजना हस्तगत किये जाने की कार्यवाही किये जाने हेतु निर्दशित किया गया। एस0आइ0टी0 पिथौरागढ़/बौन उत्तरकाशी के निर्माण हेतु शासन स्तर पर नीतिगत निर्णय लिये जाने प्रस्तावित है व टनकपुर हेतु शेष शासकीय अंश उपलब्ध कराया जाना शेष है। इन संस्थानें को अन्तिम अवसर प्रदान किये जाने हेतु समय अवधि विस्तारण को अग्रेत्तर दिनांक 31.03.2024 तक लागत वृद्धि न किये जाने की शर्त पर समय विस्तार हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही योजनाओं के हस्तांरण एवं कार्यो के समयान्तर्गत निष्पादन हेतु परियोजना पर्यवेक्षण समिति का गठन किये जाने एवं इस कमेटी गठन हेतु मा0 कुलपति/अध्यक्ष को अधिकृत किया गया।**

		समय विस्तारण का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है	
बिन्दु संख्या 06	शत–प्रतिशत यू0टी0यू0 निधि से निर्मित/निर्माणाधीन 09 कार्यो **(गोपेश्वर सस्थान हेतु प्री0फैब स्ट्रक्चर/स्ट्रक्चर तक पहुँच मार्ग/ यू0टी0यू0 साईनेज कार्य/ पॉलिटैक्निक परिसर जीर्णोद्वार/ यू0टी0यू0 चाहरदीवारी निर्माण/ यू0टी0यू0 ऑडिटोरियम निर्माण/ लैण्ड स्कैपिंग कार्य/ म0त0स0 हेतु वर्कशॉप निर्माण एवं मा0 कुलपति आवास निर्माण कार्य)** की समय अवधि को दिनांक 31. 03.2024 तक विस्तारित किये जाने एवं उक्त योजनाओ हेतु शेष धनराशि का भुगतान किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत ।	इन योजनाओं में से अधिकतर योजनायें पूर्ण हैं एवं प्रयोग में है किन्तु कतिपय योजनाओं का विधिवत् हस्तांतरण नहीं हो पाया है। अतः शेष सभी औपचारिकताओं की पूर्ति हेतु दिनांक 31.03.2024 तक अवधि विस्तारण का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।	**वित्त समिति द्वारा विस्तृत चर्चा उपरांत यह निर्णय लिया गया कि अधिकतर योजनायें पूर्ण है एवं प्रयोग में है । केवल इन योजनाओं का विधिवत हस्तांतरण नहीं हो पाया है। अतः ऐसी सभी योजनाओं के विधिवत् हस्तांरण हेतु आगामी छः माह (दिनांक 30.09.2023 तक) का समय विस्तार प्रदान किया गया तथा इनके विधिवत हस्तांतरण हेतु कार्यदायी संस्था से इन्वेन्ट्री प्राप्त किये जाने व योजना हस्तगत किये जाने की कार्यवाही दिनांक 08.09. 2023 को सम्पन्न कार्यपरिषद के निर्णयानुसार किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही योजनाओं के हस्तांरण हेतु आवश्यकतानुसार समिति गठित किये जाने हेतु मा0 कुलपति/अध्यक्ष को अधिकृत किया गया।**
बिन्दु संख्या 07	विश्वविद्यालय की प्रशासनिक भवन की बाहरी रंगाई/पुताई कार्य हेतु स्वीकृत लागत रू0 19.83 लाख के प्रस्ताव पर कार्योत्तर स्वीकृति का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	वित्त समिति की 19वीं बैठक के **एजेण्डा बिन्दु सख्या–27** पर प्रशासनिक भवन की बाहरी रंगाई/पुताई हेतु रू0 10. 00 लाख की धनराशि पर वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी किन्तु इस कार्य पर लगभग रू0 20.00 लाख की धनराशि का व्यय आ रहा था। कार्य की तातकालीक आवश्यकता के दृष्टिगत विश्वविद्यालय द्वारा यह कार्य शासनादेश संख्या 293/XXVII(7)36/2010-11 दिनांक 09.10.2020 के	**प्रस्ताव पर वित्त समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।**

		अनुपालन में सम्पादित करा लिया गया है। अतः पूर्व स्वीकृत धनराशि रू0 10.00 लाख के अतिरिक्त रू0 9.83 लाख सहित कुल धनराशि रू0 19.83 लाख का प्रस्ताव कार्योत्तर स्वीकृति हेतु वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।	
बिन्दु संख्या 08	विश्वविद्यालय में कार्यरत्त सभी अधिकारियों **(मा0कुलपति, कुलसचिव, वित्तनियंत्रक,परीक्षा नियंत्रक,सहायक लेखाधिकारी,स्टॉफ आफिसर, कोर्डिनेटर पी0एच0डी0 को)** रू0 20000/— की तथा **निजी सचिव, मा0 कुलपति को रू0 10000/—** की सीमा अन्तर्गत सी0यू0जी सिम सहित क्रय किये गये मोबाईल हेतु कार्योत्तर स्वीकृति तथा विश्वविद्यालय में कार्यरत्त अन्य सभी कार्मिकों को **माह अप्रैल, 2023 से रू0 235/—** मोबाईल रिचार्ज प्रतिपूर्ति लागू किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ।	विश्वविद्यालय में सेवा दे रहें अधिकारीगणों के लिये एक आधिकारिक मोबाईल संख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु सी0यू0जी सिम सहित मोबाईल उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि अधिकारिगणों के सेवा हस्तांतरण के उपरांत कार्यभार ग्रहण करने वाले नये अधिकारी द्वारा उक्त सिम का प्रयोग विश्वविद्यालय हित में किया जा सकें तथा विश्वविद्यालय के पास अधिकारियों के आधिकारिक मोबाईल नम्बर स्थाई रूप से उपलब्ध रहने के साथ ही विश्वविद्यालय के सभी कार्मिकों को माह अप्रैल, 2023 से रू0 235/— मोबाईल रिचार्ज प्रतिपूर्ति लागू किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ।	**प्रस्ताव पर वित्त समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।**
बिन्दु संख्या 09	विश्वविद्यालय परिसर में संचालित व स्ववित्तपोषित एम0टैक पाठ्यक्रम में प्रर्याप्त आय उपलब्ध न होने व सम्बन्धित स्टॉफ द्वारा विश्वविद्यालय के विभिन्न	एम0टैक विभागाध्यक्ष अवगत कराया गया है कि स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत अर्जित आय को	वित्त समिति द्वारा एम0टैक शैक्षणिक स्टॉफ को दिनांक 31.03.2024 विश्वविद्यालय परीक्षा खाते से वेतन

	कार्य–कलापों में अपने सहयोग प्रदान करने के दृष्टिगत कार्यरत्त शैक्षणिक स्टॉफ को पूर्व की भांति मार्च, 2024 तक के विश्वविद्यालय के परीक्षा खाते से वेतन/मानदेय भुगतान किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	बढ़ाए जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत विभाग प्रयासरत है। एम0टैक पाठ्यक्रमों में विगत वर्षो से घटती प्रवेश संख्या के कारण सम्बन्धित बैंक खाते में माह जुलाई, 2022 के वेतन हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न होने के कारण माह जुलाई, 2022 से आगामी 03 माह के वेतन भुगतान पर कार्योत्तर स्वीकृति के साथ ही यह व्यवस्था दिनांक 31.03. 2023 तक लागू किये जाने के प्रस्ताव पर 19वीं वित्त समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया था। सम्बन्धित शैक्षणिक स्टॉफ द्वारा शैक्षणिक कार्यो के साथ–साथ विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यकलापों में अपना अमूल्य योगदान दिया जा रहा है। अतः पूर्व की भांति ही एम0टैक शैक्षणिक स्टॉफ को दिनांक 31.03.2024 तक वेतन भुगतान किये जाने जाने व इसके उपरांत इसकी समीक्षा किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	भुगतान किये जाने जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया । साथ ही वर्तमान में उद्योगों की मांग के अनुरूप रोजगारपरक पाठ्यक्रम चलाये जाने हेतु सुझाव प्रदान किया गया ।
बिन्दु संख्या 10	विश्वविद्यालय की चाहरदीवारी की मरम्मत पर आने वाले आंगणित अनुमानित व्यय रू0 4.07 लाख का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत	इस वर्ष बरसात के कारण विश्वविद्यालय की चाहरदीवारी दों स्थानों से बुनियाद सहित गिर गयी । विश्वविद्यालय की सुरक्षा के दृष्टिगत लेबर रेट पर उक्त कार्य को सम्पादित कराया जाना है। इस कार्य पर आंगणित **रू0 4.07 लाख (रू0 चार लाख सात हजार मात्र)** (रू0 2.27 लाख एवं 1.80 लाख) के	**वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।**

		अनुमानित व्यय किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।	
बिन्दु संख्या 11	विश्वविद्यालय परिसर में बैंकिंग सेवाओं उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत परिसर में निर्मित स्टोर के अनुमानित **रू0 05.00 लाख** की लागत से पुर्नसुधार उपरांत बैंकिंग सेवाओं हेतु मासिक किराये पर भवन उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	विश्वविद्यालय परिसर में बैंक सेवाओं की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत पुराने स्टोर के अनुमानित लागत रू0 05.00 लाख से रिनोवेशन उपरांत बैंक की स्थापना कराये जाने के दृष्टिगत मासिक किराये पर प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।	**उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के अनुपालन की शर्त पर कार्य कराये जाने हेतु वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।**
बिन्दु संख्या 12	उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जारी नीति के प्राविधानों के अनुसार तकनीकी विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन की छत पर रू0 60.00 लाख की अनुमानित लागत से 120 के0वी0 का ऑनग्रिड सोलर पावर प्लांट लगाने जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन की छत पर शासन द्वारा जारी सोलर नीति का लाभ लिये जाने हेतु एवं विश्वविद्यालय की बिजली बिल में छूट पाने हेतु 120 के0वी0 का ऑनग्रिड सोलर पावर सिस्टम लगाया जाना प्रस्तावित है जिस पर लगभग एकमुश्त रू0 60.00 लाख का व्यय होना सम्भावित है। इस योजना के क्रियान्वयन पर राज्य सरकार द्वारा यदि कोई अनुदान दिया जाएगा तो प्रोजेक्ट की लागत उक्त धनराशि के बराबर कम हो जाएगी। वर्तमान में बिजली बिल के रूप में विश्वविद्यालय द्वारा लगभग 19.00 लाख का वार्षिक व्यय किया जा रहा है। सोलर सिस्टम के कार्य करने के उपरांत इसकी स्थापना में आने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति	**वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया। यह भी निर्देशित किया गया कि सोलर पावर प्लांट हेतु यदि केन्द्र/राज्य सरकार की किसी योजना के अन्तर्गत अनुदान उपलब्ध हो तो ऐसी योजना के अनुरूप कार्यवाही की जाए।**

		आगामी 05 वर्षो में होनी सम्भावित है। अतः विश्वविद्यालय में 120 के0वी0 का Rooftop सोलर पावर प्लांट स्थापित किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।	
बिन्दु संख्या 13	संस्थान को नई सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तारण हेतु गठित कमेटी से निष्पक्ष जाँच आख्या प्राप्त किये जाने हेतु गठित सम्बद्धता विषय विशेषज्ञ समिति को विश्वविद्यालय स्तर से ही मानदेय/दैनिक भत्ता/यात्रा भत्ता प्रदान किये जाने हेतु एवं समिति के ठहरने की व्यवस्था वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था अन्तर्गत संस्था स्तर से कराये जाने के स्थान पर निष्पक्षता के दृष्टिगत नियमानुसार विश्वविद्यालय से आबद्ध किसी बाहरी एजेन्सी से कराने तथा जाँच आख्या सीधे विश्वविद्यालय को ही उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। **इस प्रयोजन हेतु वर्तमान में विश्वविद्यालय द्वारा यथाप्रभावी सम्बद्धता शुल्क के साथ अतिरिक्त रू0 60000/- एवं प्रति विषय रू0 20000/- निरीक्षण व्यय के रूप में अतिरिक्त धनराशि जमा कराते हुये** पूर्णतः कैश-लेश सम्बद्धता निरीक्षण कराये जाने हेतु प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।	प्रायः यह देखा गया है कि नई सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तारण हेतु गठित विषय विशेषज्ञ समिति हेतु सम्बन्धित संस्थान स्तर पर ही मानदेय/टी0ए0/डी0ए0 /ठहरने आदि की व्यवस्था की जाती रही है। ऐसे में समिति सदस्यों से निष्पक्ष जाँच आख्या प्राप्त होने की सम्भावना कम ही प्रतीत होती है। अतः इस व्यवस्था मे सुधार किये जाने एवं संस्थानों को सम्बद्धता प्रदान किये जाने व विस्तारण हेतु निष्पक्ष जॉच आख्या प्राप्त किये जाने हेतु आगामी सत्र से विश्वविद्यालय स्तर से ही मानेदय/दैनिक भत्ता/यात्रा भत्ता प्रदान आदि तथा ठहरने की व्यवस्था किसी बाहरी एजेन्सी से कराने का व जाँच आख्या सीधे विश्वविद्यालय को ही उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। इस प्रयोजन हेतु वर्तमान में विश्वविद्यालय द्वारा यथाप्रभावी सम्बद्धता शुल्क के साथ अतिरिक्त	**वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।**

		निरीक्षण व्यय के रूप में रू0 60000/— एवं प्रति विषय रू0 20000/— के रूप में अतिरिक्त धनराशि जमा कराते हुये पूर्णतः कैश—लेश सम्बद्धता निरीक्षण कराये जाने हेतु प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।	
बिन्दु संख्या 14	विश्वविद्यालय में अध्ययनरत्त स्नातक तथा परास्नातक के अंतिम वर्ष के छात्रों को प्रोजेक्ट/डिजर्टेशन में आंशिक वित्तीय सहायता के रूप में रू0 5000/— प्रति ग्रुप को एक मुश्त की वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने व एक संस्थान से अधिकतम 04 प्रोजेक्ट ही स्वीकार किये जाने हेतु **रू0 10.00 लाख** का अनुमानित व्यय किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।	विश्वविद्यालय में अध्ययरत्त छात्रों के अंतिम वर्ष में प्रोजेक्ट/डिर्जटेशन हेतु वित्तीय सहायता दिया जाना प्रस्तावित है । ऐसा करने से सम्बद्ध संस्थानों में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों द्वारा ई—जनरल्स आदि विश्वविद्यालय के नाम के साथ प्रकाशित किये जाने की सम्भावना होगी। विश्वविद्यालय के निर्दिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति एवं व्यापक प्रसार में सहायतार्थ छात्रों को रू0 5000/— प्रति ग्रुप को एक मुश्त की वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने हेतु **रू0 10.00 लाख** का व्यय प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।	**वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।**
बिन्दु संख्या 15	विश्वविद्यालय में Document Management System / E-Office सुविधा लागू किये जाने के दृष्टिगत **रू0 20.00 लाख** व्यय किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	विगत में कुलसचिव कार्यालय में आग लगने के दृष्टिगत विश्वविद्यालय के सभी पुराने दस्तावेज/रिकार्ड आदि को डीजिटली संरक्षित करने हेतु E-Office सुविधा लागू किये जाने के दृष्टिगत **रू0 20.00 लाख** का प्रस्ताव वित्त समिति	**उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के अनुपालन की शर्त पर कार्य कराये जाने हेतु वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।**

<table>
<tr><td></td><td></td><td>के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।</td><td></td></tr>
<tr><td>बिन्दु संख्या 16</td><td>विश्वविद्यालय में Community Radio Station की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।</td><td>भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी पॉलिसी के अनुसार तकनीकी विश्वविद्यालय में भी Community Radio Station की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है जिस पर प्रथम चरण में रू0 27500/- का व्यय किया जाना है एवं आगामी व्यय भारत सरकार के नियमानुसार किये जाने का प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।</td><td>वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।</td></tr>
<tr><td>बिन्दु संख्या 17</td><td>आगामी शैक्षिक सत्र 2023-24 से विश्वविद्यालय में B.Tech पाठ्यक्रम दो ब्रान्चों (Computer Science & Engineering (Intake-60) and Cyber Security (Intake-60) के साथ संचालित किये जाने का प्रस्ताव तथा उक्त पाठ्यक्रम के सफल संचालन हेतु भवन/फर्नीचर/प्रयोगशाला/कार्यशाला/लाईब्रेरी आदि पर रू0 73.00 लाख तथा शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ के वेतन भत्तें आदि पर 37.00 लाख का व्यय वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत ।
साथ ही शिक्षण शुल्क रू0 75000/- तय किए जाने हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।</td><td>02 ब्रान्चों में बी0टैक पाठ्यक्रम संचालन हेतु निम्न मदों में व्यय किया जाना है :-
<table>
<tr><th>क्र0 स0</th><th>मद</th><th>अनुमानित व्यय</th></tr>
<tr><td>1</td><td>कक्षा कक्षों की स्थापना</td><td>40.00लाख</td></tr>
<tr><td>2</td><td>फर्नीचर</td><td>06.00 लाख</td></tr>
<tr><td>3</td><td>प्रयोगशाला</td><td>15.00 लाख</td></tr>
<tr><td>4</td><td>पुस्तकालय</td><td>12.00 लाख</td></tr>
<tr><td></td><td>येाग</td><td>73.00लाख</td></tr>
<tr><td>1</td><td>शैक्षणिक स्टॉफ वेतन</td><td>25.20 लाख</td></tr>
<tr><td>2</td><td>गैर शैक्षणिक स्टॉफ वेतन</td><td>06.84 लाख</td></tr>
<tr><td>3</td><td>अन्य व्यय</td><td>5.00 लाख</td></tr>
</table></td><td>वित्त समिति द्वारा स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम के रूप में B.Tech (Computer Science & Engineering (Intake-60) and Cyber Security (Intake-60) के साथ संचालित किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया साथ ही वित्त समिति द्वारा अपेक्षा की गई कि भविष्य में Renewable Energy /Green Energy ब्रांन्च भी संचालित कराये जाने हेतु तथा Fashion Technology में कोर्स संचालन हेतु विचार कर लिया जाय। साथ ही उक्त पाठ्यक्रम के वार्षिक शुल्क के रूप 75000/-लागू किये जाने पर वित्त समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><td></td><td></td><td>योग</td><td>37.04 लाख</td></tr>
</table>
बी0टैक पाठ्यक्रम संचालन से वार्षिक रू0 90.00 लाख की आय अनुमानित है।
अतः प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>बिन्दु संख्या 18</td>
<td>सत्र 2023–24 से विश्वविद्यालय की Faculty of Technology (FOT) में PG Diploma Course in Cyber Security संचालित किये जाने का प्रस्ताव तथा उक्त पाठ्यक्रम के सफल संचालन हेतु भवन/फर्नीचर/प्रयोगशाला/कार्यशाला/लाईब्रेरी आदि पर रू0 18.00 लाख तथा शैक्षणिक/असैक्षणिक स्टॉफ के वेतन भत्तें आदि पर 15.00 लाख का व्यय वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।</td>
<td>PG Diploma Course in Cyber Security संचालित किये जाने हेतु अनुमानित रू0 33.00 लाख व्यय किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।
इस पाठ्यक्रम को स्वःवित्तपोषित आधार पर संचालित किया जायेगा एवं इसके संचालन से होने वाली बचत विश्वविद्यालय की आय होगी।</td>
<td>वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया । साथ ही उक्त स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम के वार्षिक शुल्क के रूप 35000/–लागू किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।</td>
</tr>
<tr>
<td>बन्दु संख्या 19</td>
<td>सत्र 2023–24 से विश्वविद्यालय की Faculty of Pharmacy में बी0फार्मा0 60 प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्तपोषित स्वरूप में संचालित किये जाने हेतु प्रस्ताव तथा उक्त पाठ्यक्रम के सफल संचालन हेतु भवन/फर्नीचर/प्रयोगशाला/कार्यशाला/लाईब्रेरी आदि पर रू0 3.00 करोड़ तथा शैक्षणिक/असैक्षणिक स्टॉफ के वेतन भत्तें आदि पर 40.00 लाख का व्यय वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।
<table>
<tr><th>क्र0स0</th><th>मद</th><th>अनुमानित व्यय</th></tr>
<tr><td>1</td><td>कक्षा कक्षों की स्थापना</td><td>20.00लाख</td></tr>
<tr><td>2</td><td>फर्नीचर</td><td>08.00 लाख</td></tr>
<tr><td>3</td><td>प्रयोगशाला</td><td>250.00 लाख</td></tr>
<tr><td>4</td><td>पुस्तकालय</td><td>13.00 लाख</td></tr>
<tr><td></td><td>योग</td><td>291.00लाख</td></tr>
<tr><td>1</td><td>शैक्षणिक स्टॉफ वेतन</td><td>21.00लाख</td></tr>
</table>
</td>
<td>विश्वविद्यालय बी0फार्मा0 पाठ्यक्रम संचालन हेतु मुख्यतः निम्न मदों में व्यय किया जाना है :–
बी0फार्मा0 पाठ्यक्रम संचालन से वार्षिक रू0 45.00 लाख की आय अनुमानित है।
इस पाठ्यक्रम को स्वःवित्तपोषित आधार पर संचालित किया जायेगा एवं इसके संचालन से होने वाली बचत विश्वविद्यालय की आय होगी।</td>
<td>वित्त समिति द्वारा स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम के रूप में बी0फार्मा0 पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया । साथ ही विश्वविद्यालय को स्थायी देनदारियों Create न किये जाने हेतु भी निर्देशित किया गया। साथ ही उक्त पाठ्यक्रम के वार्षिक शुल्क के रूप 75000/–लागू किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।</td>
</tr>
</table>

	2 | गैर शैक्षणिक स्टॉफ वेतन | 14.76 लाख 3 | अन्य व्यय | 5.00 लाख | योग | 40.76 लाख		
बिन्दु संख्या 20	विश्वविद्यालय द्वारा आगामी शैक्षिक सत्र 2023–24 से बी0टैक / बी0फार्मा0 पाठयक्रमों में पी0जी0 डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु विश्वविद्यालय परिसर में Academic Block, Hostel (100 Bed), Guest House , Central Library, Indoor Stadium, Officer/Staff Residential Quarter निर्माण कराये जाने हेतु सैद्धांतिक सहमति लिये जाने का प्रस्ताव राज्य सरकार व अन्यत्र से वित्त पोषित कराने हेतु वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	विश्वविद्यालय परिसर में नये पाठ्यक्रमों के लिये प्रर्याप्त स्थान उपलब्ध कराने हेतु विश्वविद्यालय की आवश्यकता के दृष्टिगत Academic Block, Hostel (100 Bed), Guest House , Central Library, Indoor Stadium, Officer/Staff Residential Quarter का प्रस्ताव राज्य सरकार व अन्यत्र से वित्त पोषित कराने हेतु वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। इस पाठ्यक्रम को स्वःवित्तपोषित आधार पर संचालित किया जायेगा एवं इसके संचालन से होने वाली बचत विश्वविद्यालय की आय होगी।	**प्रस्ताव पर चर्चा उपरांत वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय से राज्य / केन्द्र सरकार की विभिन्न संचालित योजनाओं का लाभ लिये जाने हेतु प्रस्ताव तैयार कर अनुदान प्राप्ति कराने हेतु निर्देशित करते हुये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।**
बिन्दु संख्या 21	विश्वविद्यालय द्वारा संचालित नये पाठ्यक्रमों / बी0टैक / बी0फार्मा0 व पूर्व से संचालित एम0बी0ए0 / एम0टैक / एम0फार्मा0 में बाह्य ऐजन्सी के माध्यम से शिक्षकों की आवश्यकतानुसार सेवायें लिये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	आवश्यकता के दृष्टिगत वाहय ऐजन्सी से आवश्यकतानुसार शिक्षकों की सुविधा लिये जाने का प्रस्तााव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। इस हेतु होने वाले व्यय को विश्वविद्यालय की स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के संचालन की आय अथवा अन्यत्र बचतों से किया जायेगा।	**वित्त समिति द्वारा चर्चा उपरांत आवश्यकतानुसार शिक्षकों की सेवायें बाह्यस्रोत से GeM / e-tender के माध्यम से प्राप्त किए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।**
बिन्दु संख्या 22	विश्वविद्यालय स्तर पर Research cum Teaching Fellowship Scheme लागू किये जाने हेतु रू0 67.50 लाख का अनुमानित व्यय का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत	विश्वविद्यालय में शोध कार्यो को गतिमान करने हेतु शोध सह शिक्षण फेलोशिप योजना लागू किया जाना प्रस्तावित है।	**वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।**

		इस योजना अन्तर्गत पी0एच0डी0 की निर्धारित प्रवेश प्रक्रिया द्वारा शोधार्थी का पंजीकरण कराकर उससे शोधकार्य के साथ–साथ शैक्षणिक कार्यो का निवर्हन कराया जायेगा । अतः Research cum Teaching Fellowship Scheme लागू किया जाना प्रस्तावित है। इस कार्य हेतु प्रथम चरण में 25 छात्रवृत्तियां स्थापित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु **अनुमानित रू0 67.50 लाख** का व्यय वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।	
बिन्दु संख्या 23	विश्वविद्यालय प्रशसनिक भवन की आग से सुरक्षा हेतु नवीनतम अग्निशमन सुरक्षा यत्रों की स्थापना किये जाने **रू0 15.00 लाख** का का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत	विगत माह में कुलसचिव कार्यालय में आग लग जाने पर नुकसान हुआ । अतः ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु पुरे प्रशासनिक भवन में नवीनतम अग्निशन सुरक्षा यत्रों की स्थापित किये जाने हेतु **रू0 15.00 लाख** का व्यय वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	**उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के अनुपालन की शर्त पर कार्य कराये जाने हेतु वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।**
बिन्दु संख्या 24	विश्वविद्यालय के एम0बी0ए0 पाठ्यक्रम एवं फेकल्टी ऑफ फार्मेसी में शिक्षकों को आउटसोर्स के आधार पर रखे जाने हेतु एवं अन्य पाठ्यक्रमों में अध्यापन की आवश्यकतानुसार अतिथि व्याख्याता अथवा यू0जी0सी0 द्वारा प्राविधानित Professor of Practice/ Adjuct Faculty अथवा राज्य सरकार/विश्वविद्यालय में यथा प्रभावी व्यवस्था से अपनी आय से किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	शैक्षिक सत्र 2022–23 से एम0बी0ए0 पाठ्यक्रम संचालित है जिसमें वर्तमान में 07 छात्र प्रवेशित है। इन छात्रों के शिक्षण कार्य हेतु 02 सहायक प्रोफेसर रू0 35000/– प्रतिमाह की दर से एवं आगामी सत्र 2023–24 से फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु 02 सहायक प्रोफेसर फार्मेसी काउंसलिंग ऑफ इंडिया	**वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।**

		के पी0सी0आई0 के मानकों के अनुसार आउटसोर्स के माध्यम से नियुक्त किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	
बिन्दु संख्या 25	विश्वविद्यालय मे खेलकूद हेतु स्पोर्टस ग्राउण्ड व खेल सुविधायें स्थापित किये जाने हेतु Athletics Track, Basket Ball Court, Volleyball Court, का निर्माण तथा Sports Ground रख–रखाव सहित Boys & Girls Toilet निर्माण कराये जाने का हेतु **रू0 10.00 लाख** का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त संस्थानों में अध्ययरत्त छात्रों हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर समय–समय पर विभिन्न खेल गतिविधियों के आयोजन हेतु Athletics Track, Basket Ball Court, Volleyball Court, का निर्माण तथा Sports Ground रख–रखाव सहित Boys & Girls Toilet निर्माण कराये जाने हेतु **रू0 10.00 लाख** का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।	**उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के अनुपालन की शर्त पर कार्य कराये जाने हेतु वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।**
बिन्दु संख्या 26	विश्वविद्यालय में साइबर सुरक्षा से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों के संचालन कर इस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका अदा करने के दृष्टिगत प्रस्तावित है कि विश्वविद्यालय में Centre of Excellence in Cyber Security की स्थापना अपनी बचतों एवं अन्य श्रोतों से प्राप्त अनुदान से की जाय। इस हेतु विश्वविद्यालय स्तर से प्रथम चरण में **रू0 10.00 लाख** का प्राविधान करते हुये प्रस्तावित Centre of Excellence in Cyber Security की स्थापना किया जाना उचित होगा। प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	विश्वविद्यालय में साइबर सुरक्षा से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों के संचालन कर इस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका अदा करने के दृष्टिगत प्रस्तावित है कि विश्वविद्यालय में Centre of Excellence in Cyber Security की स्थापना अपनी बचतों एवं अन्य श्रोतों से प्राप्त अनुदान से की जायैं इस हेतु विश्वविद्यालय स्तर से प्रथम चरण में **रू0 10.00 लाख** का प्राविधान करते हुये प्रस्तावित Centre of Excellence in Cyber Security की स्थापना किया जाना उचित होगा। प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	**वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।**

बिन्दु संख्या 27	विश्वविद्यालय की 19वीं वित्त समिति के एजेण्डा बिन्दु संख्या 21 पर प्राप्त नये वाहन क्रय हेतु **रू0 25.00 लाख** के अनुमोदन के क्रम में मा0 कुलपति हेतु नया इनोवा वाहन के स्थान पर उपलब्धता के आधार पर अन्य कोई वाहन क्रय किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	19वीं वित्त समिति के एजेण्डा बिन्दु संख्या 21 पर मा0 कुलपति महोदय हेतु नया इनोवा वाहन क्रय किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया था किन्तु विगत 06 माह से Gem पोटर्ल मे एवं निकट भविष्य में भी उक्त वाहन उपलब्ध न हो पाने के कारणवश उक्त अनुमोदित सीमा रू0 25.00 लाख अन्तर्गत Gem पोटर्ल पर उपलब्ध अन्य वाहन क्रय किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	**वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।**
बिन्दु संख्या 27	अन्य बिन्दु मा0 कुलपति महोदय की अनुमति से		
01	विश्वविद्यालय मे खेलकूद प्रतियोगिताओं के सफल संचालन हेतु विभिन्न पुनरीक्षित दरें लागू किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत। **औचित्य** :– वर्तमान में पूर्व से स्वीकृत दरों पर खेल विशेषज्ञ/रेफरी/खेल निरीक्षक आदि उपलब्ध न होने के कारण दरों के पुनरीक्षित की आवश्यकता के दृष्टिगत दरों के पुनरीक्षित किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।	**वित्त समिति द्वारा चर्चा उपरांत निम्नविवरणानुसार अनुमोदन प्रदान किया गया :–** (तालिका नीचे)	

20th Finance Committee
Approved Officiating Charges, Entry Fee from the Session FY2023-24

S. No.	Games/Sports	20th Finance Committee Approved Rate Officiating Charges financial year 2023-24	
		Per Team (in Rs)	Per match (in Rs)
1	Air Rifle & Pistol Shooting (M&W)	800/-Each	N/A
2	Archery (M &W)	800/- Each	N/A
3	Athletics	800/- Each	N/A
4	Badminton (M & W)	N/A	400/- Match
5	Baseball (M & W)	N/A	500/- Match
6	Basketball (M & W)	N/A	500/- Match
7	Boxing (M & W)	600/- Each	N/A
8	Chess (M & W)	600/- Each	N/A
9	Kabaddi (M & W)	N/A	600/- Match
10	Cricket (M & W)	N/A	800/- Match

11	Cross country (M & W)	600/- Each	N/A
12	Football (M & W)	N/A	500/- Match
13	Gymnastics (M & W)	500/- Each	N/A
14	Handball (M & W)	N/A	500/- Match
15	Hockey (M & W)	N/A	500/-Match
16	Judo (M & W)	600/- Each	N/A
17	Kabaddi (M & W)	N/A	500/- Match
18	Kho-Kho (M & W)	N/A	500/- Match
19	Lawn Tennis	N/A	500/- Match
20	Softball (M/W)	N/A	500/- Match
21	Table-Tennis	N/A	500/- Match
22	Taekwondo	500 Each	500/- Match
23	Tug of War	N/A	N/A
24	Volleyball	N/A	500/- Match
25	Powerlifting , Wt. Lifting	500/-Each	N/A
26	Registration fees for all team (Separately)	1000/- Team	
27	Entry fee for selection trial	600/- Each **(*no officiating charges will be taken**)	

Remuneration for the Selection Committee, Observer & Officials Players for intercollegiate/North Zone/ All India and Other Sports Events Organize by the University

	20th Finance Committee Approved Rate financial year 2023-24 Remuneration (Excluding TA/DA)
Chairman	2000/- Match
Members	1500/- Match
Coach Level 1	2000/- Match
Coach North Zone	1500/- Day
Observer (By University)	1500/- Day
Match Officials	1500/- Day
Labor Charges	500/- Day
Players North Zone (Participating Outside State)	600/-Day
Players North Zone (Participating Within State)	400/- Day
Medical Allowances	1000/- Tournament

02	कुलसचिव कार्यालय कक्ष में लगी आग के कारण कुलसचिव कार्यलय/कक्ष के अनुरक्षण पर हुये व्यय वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	**वित्त नियंत्रक द्वारा वित्त समिति को इस प्रकरण के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक अवगत कराया गया। तत्पश्चात वित्त समिति द्वारा कुलसचिव कार्यालय/कक्ष पर दैनिक मजदूरी/सामान क्रय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली अनुपालन कराते हुये अनुरक्षण कार्य कराये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।**

बैठक में वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय की आय /छात्र संख्या बढ़ाने पर विशेष प्रयास किये जाने हेतु निर्देशित किया गया तथा अंत में सभी सदस्यों द्वारा मा0 कुलपति महोदय का धन्यवाद ज्ञापित करते हुये 20वीं वित्त समिति की बैठक सम्पन्न हुई ।

(बिक्रम सिंह जंतवाल)
वित्त नियंत्रक
वीर माधों सिंह भण्डारी
उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी
विश्वविद्यालय
देहरादून

(प्रोफ0 सत्येन्द्र सिंह,)
कुलसचिव
वीर माधों सिंह भण्डारी
उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी
विश्वविद्यालय
देहरादून

(पंकज गुप्ता)
अध्यक्ष, इंडस्ट्री
ऐसोसियेशन ऑफ
उत्तराखण्ड

(श्रीप्रकाश तिवारी)
उप–सचिव,
तकनीकी शिक्षा,
उत्तराखण्ड शासन

(दीप्ती मिश्रा)
उपसचिव
वित्त विभाग,
उत्तराखण्ड शासन

(अरविन्द सिंह पांगती)
सयुंक्त सचिव,
चिकित्सा शिक्षा,
उत्तराखण्ड शासन

(प्रशान्त आर्य)
अपर सचिव,
उच्च शिक्षा,
उत्तराखण्ड शासन

(आर0 के0 श्रीवास्तव)
अपर सचिव,
न्याय विभाग,
उत्तराखण्ड शासन

प्रतिहस्ताक्षर

(प्रो0 ओंकार सिंह)
कुलपति,
वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
देहरादून